

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

वाद सं०- ५० / 2019

धारा-107 द०अ०सं०

लखी-इनाथ महता

वनाम

परमेश्वर महता वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई कार्यवाही एवं टिप्पणी तारीख सहित

अभिलेख सं०-एम् ५० / 2019 में द०अ०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी श्रीनारायण के अप्राथमिकी सं०-10 दिनांक 14-04-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जग्गी विवाद का लेक समय पत्र में तनाव है।
श्रीनारायण थाना काण्ड सं० 2119 दिनांक 27-03-19
वाप 341/323/504/506/34 अ०द०वि०

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।


अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (सँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०अ०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उससे प्रत्येक को 1000 (एक हजार) रूप का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।


अभिलेख तिथि 27/05/19 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (सँची)।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (सँची)।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
25-11-19	<p>उभयपक्ष की ओर से दायरी दी गई। कार्यपालक दफ्तर विधान सभा निर्वाचन कार्य में अस्तित्व दिनांक 09-12-19 को रखें।</p>	
09-12-19	<p>आमि लेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता दायरी दिनांक 01, 03 उपस्थित। अन्य अधिवक्ता दायरी दिनांक 03-01-20 16-12-19 को रखें।</p>	
16-12-19	<p>आमि लेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित दिनांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता दायरी इतना वाद में 6 (छः) मार की अतिपि पूर्ण हो चुकी है। अंततः वाद कालबाधित ही गया है। अतः वाद में आमि लेख की कार्रवाई बन्द की गयी है।</p>	


 16/12/19
 कार्यपालक दफ्तराधिकारी
 उच्च (रांची)


 16/12/19
 कार्यपालक दफ्तराधिकारी
 उच्च (रांची)